OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, HoFF, RAJASTHAN, JAIPUR

F 14 ( ) /2015/FCA/PCCF/CCFEDS -I Jaipur Dated 16.5.2018

KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA के द्वारा कोटा जिले के वनमण्डल कोटा प्रादेशिक के ग्राम अणतपुरा एवं उम्मेदगंज में **LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI UPAJ MANDI SAMITI** के निर्माण कार्य हेतु 74.00 हेक्टयर वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Others/20036/2016 पर दिनांक 29.6.2016 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट I, II एवं III की पूर्ती उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :-

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या A-1 (vi) में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण 0 अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव संशोधित होने के बाद 24 है0 क्षैत्र गैर वन भूमि में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अंकित किया गया है। उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या B2.4 में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न कम्पोनेटवाइज क्षैत्र में 38 है0 वन भूमि बिल्डिंग कार्य हेतु ली गई है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाइडलाइन के अनुरूप (1 है0 से अधिक क्षैत्र में बिल्डिंग हेतु) नही है। इसके अतिरिक्त संलग्न किये गये एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट से मिलान नही करते है।
3. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b(ii) में संलग्न kml file एवं DGPS map एक दूसरे से मिलान नही करते है। संशोधित KML file & DGPS map संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 74 है0 के प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में प्रसताव की औचित्यता दर्शायी गई है जबकि वर्तमान में प्रस्ताव 96 है0 का है।
5. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या E में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 100 स्थायी रोजगार सृजन होने का अंकित किया गया है किन्तु उसका विवरण हार्ड प्रति में संलग्न नही किया गया है।
6. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नही किया गया है।
7. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु हार्ड प्रति में 74 है0 का वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है अतः संशोधित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया गया है जो दो ग्रामों में आबंटन किया गया है। अतः सेंगमेंट अनुसार KML file & Corrected GT Sheet संलग्न की जानी प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर द्वारा 96 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का पत्र संलग्न नही किया गया है।
9. यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया बार चार्ट सही नही है इसे कम्पोनेट अनुसार बनाया जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
10. उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में अंकन नही किया गया है।
11. उप वन संरक्षक कोटा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही की गई है।
12. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या में 22 है0 क्षैत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन होना अवगत कराया गया है। जिसके बारे में उनके स्तर पर की गई कार्यवाही, दोषी लोकसेवको के नाम आदि सहित विस्तृत टिप्पणी दिया जाना प्रस्तावित है।
13. उप वन संरक्षक द्वारा उक्त भूमि एन0एच0 76 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के अंतर्गत जारी शर्त जिसमें एन0एच0 76 के 1 कि0मी0 की परिधि में ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है उक्त प्रस्तावित वन भूमि ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आती है। उप वन संरक्षक ने भी भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित संशोधन कराये जाने के उपरांत ही प्रत्यावर्तन किया जाना उचित बताया है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में अब तक किये गये कार्य का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
14. मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पार्ट III एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है।
15. यूजर ऐजेन्सी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो में फलूड लगाया जाकर हार्ड प्रति के साथ संलग्न किये गये है जो उचित नही है। प्रस्ताव में एक प्रति में मूल दस्तावेज एवं तीन प्रति अतिरिक्त जिसमें सभी दस्तावेजों पर यूजर ऐजेन्सी/उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर किये जाने प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति में ऑनलाईन प्रस्ताव के सभी दस्तावेज संलग्न नही किये गये है।

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण) / समुवसं / 2020 / 3065 दिनांक : 1-7-2020

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा।

विषय :–Land For Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit (FP/RJ/Other/20036/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 19.06.2020 को सचिव कृषि उपज मण्डी (अनाज) कोटा आपके साथ कार्यालय में विचाराधीन प्रस्ताव के संबंध में वार्ता हेतु उपस्थित हुए एवं 96 है0 वनभूमि के प्रस्ताव को सक्षम स्वीकृति हेतु अग्रेषित करवाने हेतु अनुरोध किया है। दिनांक 19.06.2020 को आपके साथ प्रस्ताव की समीक्षा की गई जिसके निम्न बिन्दु मुख्य रूप से सामने आये:–

1. सर्वप्रथम अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर कार्यालय के पत्रांक 2569 दिनांक 24.05.2018 द्वारा जारी ई0डी0एस0 में वांछित पूर्तियाँ यूजर ऐजेन्सी एवं आपके कार्यालय स्तर से पूर्ण की जानी अपेक्षित है।
2. प्रस्तावित वनभूमि के समीप की 752 बीघा भूमि भारत सरकार वन मंत्रालय द्वारा पत्रांक 8-424/83/FRY (Cons.) दिनांक 16.03.1985 से रीको कोटा को प्रत्यावर्तित की गई थी। उक्त के पश्चात पूर्व वर्षो में रीको कोटा में प्रत्यावर्तित 752 बीघा क्षेत्र से अधिक वनक्षेत्र पर ओवर प्लानिंग कर प्लाट विक्रय किये जाने की जानकारी पत्रावली के अध्ययन से प्राप्त हुई है।
3. उपरोक्त के साथ–साथ रीको कोटा ने विगत वर्षो में कृषि उपज मण्डी समिति कोटा को जो भूमि विक्रय की है, वह कौनसी भूमि है? इस क्षेत्र के खसरा नम्बर की विस्तृत वस्तुस्थिति ज्ञात कर अवगत करावें। यदि कृषि उपज मण्डी समिति के वर्तमान में काबिज भूमि रीको द्वारा उन्हे विक्रय की गई, जैसे की बैठक में समिति के सचिव कह रहे थे, तो इस अवैध कार्यवाही जो वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का स्पष्ट उल्लघंन है, के विरूद्ध विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है?
4. प्रत्यावर्तित 752 बीघा के अतिरिक्त अन्य कितनी वनभूमि जिसका प्रत्यावर्तन नही हुआ है, उस वनक्षेत्र पर किस–किस संस्था का कितना–कितना अतिक्रमण है एवं इस अतिक्रमण

के लिए कौन जिम्मेदार है सम्पूर्ण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर शीघ्र नक्शे के माध्यम से अवगत करावें। इस सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत संयुक्त सर्वे कर स्थिति ज्ञात करना आवश्यक है।

5. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित 74+22=96 है0 वनभूमि के समीप स्थित वनभूमि की वस्तुस्थिति से नक्शे पर अवगत करावें।

उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए ई0डी0एस0 के जवाब के साथ रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें।

संलग्नः– ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018

भवदीय

(आनन्द मोहन)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा 30/6/2020

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2018/3066 दिनांक : 1-7-2020

प्रतिलिपि सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अनन्तपुरा जिला कोटा को उनके पत्रांक 857 दिनांक 19.06.2019 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः– ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा 30/6/2020

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेलः–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाषः– 0744–2500194

कमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/3945 दिनांक : 20-8-2020

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा।

विषय :– Land For Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit (FP/RJ/Other/20036/2016)

प्रसंग :– आपका पत्रांक एफ ( )उवसं/तक./2020/6290 दिनांक 24.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 19.06.2020 को सचिव कृषि उपज मण्डी (अनाज) कोटा के साथ कार्यालय में विचाराधीन प्रस्ताव के संबंध में वार्ता हेतु उपस्थित हुए थे एवं 96 है0 वनभूमि के प्रस्ताव को सक्षम स्वीकृति हेतु अग्रेषित करवाने हेतु पूर्तियां करवाने का आश्वासन दिया था। दिनांक 19.06.2020 को तत्कालीन संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा आपके साथ प्रस्ताव की समीक्षा की गई एवं ई0डी0एस0 की बिन्दुवार पालना के साथ मौके की वस्तुस्थिति एवं वनभूमि पर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने हेतु कहा गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के परिपत्र एफ 16 (Circular)2005/एफसीए/प्रमुवसं/1408–22 दिनांक 12.06.2020 में दिये गये निर्देशानुसार अनुपालना तैयार कर प्रस्ताव नही भिजवाया है।

ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018 की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट एवं पत्रांक 3065 दिनांक 01.07.2020 में दिये गये बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी टिप्पणी /अभिशंषा के साथ प्रस्ताव भिजवावे। उक्त के साथ ही निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः–

1. प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्नक पत्रादि पर हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम अंकित नही है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प 10(1)प्रसु/अनु/–1/2012 दिनांक 27.06.2019 की पालना के अनुसार हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम/पद अंकित करावें।
2. प्रस्ताव अग्रेषित करने के दौरान मुख्य पत्र में आपने स्पष्ट अनुशंषा/राय अंकित करना आवश्यक है।
3. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र (74+22 ha.) अर्थात 96 है0 मात्र का ही उल्लेख है। इसके साथ आस–पास की उपज मण्डी से लगी वनभूमि जिस पर अतिक्रमण है अथवा सक्षम स्वीकृति के बिना ही गैर वानिकी कार्य के लिए जबरन काम में ले ली गई उस वनभूमि के बारे में कोई उल्लेख/टिप्पणी नहीं है।
4. अधिरोपित शर्त संख्या 5 के संबंध में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है तो वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

अतः पालना रिपोर्ट मूल ही आवश्यक पूर्तियां करने हेतु लौटाकर लेख है कि निर्देशानुसार पूर्ण पालना रिपोर्ट संकलित कर भिजवावे। प्रमुख शासन सचिव (वन) राज0 जयपुर द्वारा इस प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 17.07.2020 की वीडियों कान्फ्रेस में दिये गये निर्देशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कर लेख है कि पूर्ण पालना के साथ प्रस्ताव शीघ्र अग्रेषित करें।

संलग्नः– पालना रिपोर्ट 3–प्रस्ताव।

भवदीय

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा

कमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/3946-47 दिनांक : 20-8-2020

प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज0 जयपुर को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) अनन्तपुरा जिला कोटा को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही तथा अनुपालना तैयार करनवाने हेतु पृष्ठांकित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

C:\office doc\Documents\FCA\FCA letter, 2019.docx 292